न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 52/2018

तारीख दायरा–11.07.2018

तारीख निर्णय–29.05.2019

1. श्री शंकरलाल पिता चुन्नीलाल ब्राम्हण निवासी चाटियाखेडी तहसील गोगुन्दा।

........वादीगण

बनाम

1. श्री योगेश पिता भुरीलाल ब्राम्हण निवासी चाटियाखेडी तहसील गोगुन्दा।
2. श्री प्रेमशंकर पिता चुन्नीलाल ब्राम्हण निवासी चाटियाखेडी तहसील गोगुन्दा।
3. श्रीमती लक्ष्मी बाई बेवा भैरूलाल ब्राम्हण निवासी चाटियाखेडी तहसील गोगुन्दा।
4. श्री जसवन्त कुमार पिता भैरूलाल ब्राम्हण निवासी चाटियाखेडी तहसील गोगुन्दा।
5. श्री गेहरीलाल पिता राजींग ब्राम्हण निवासी चाटियाखेडी तहसील गोगुन्दा।
6. श्री भंवर लाल पिता चतुर्भज ब्राम्हण निवासी चाटियाखेडी तहसील गोगुन्दा।
7. श्री पन्नालाल पिता जोधराज ब्राम्हण निवासी चाटियाखेडी तहसील गोगुन्दा।
8. श्री डालचन्द पिता जोधराज ब्राम्हण निवासी चाटियाखेडी तहसील गोगुन्दा।
9. श्री गोपीलाल पिता जोधराज ब्राम्हण निवासी चाटियाखेडी तहसील गोगुन्दा।
10. श्रीमती गंगा बाई पिता जोधराज ब्राम्हण निवासी चाटियाखेडी तहसील गोगुन्दा।
11. श्रीमती पन्ना बाई पत्नी मोहनलाल ब्राम्हण निवासी चाटियाखेडी तहसील गोगुन्दा।
12. श्रीमती मंजु देवी पत्नी प्रकाश ब्राम्हण निवासी चाटियाखेडी तहसील गोगुन्दा।
13. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188आर.टी. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री कुशाल सिंह राणावत

प्रतिवादी की ओर से– महेन्द्र कुमार पालीवाल

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा काछबा पटवार क्षेत्र काछबा कि जमाबन्दी संवत 2072–2075 के खाता संख्या 384 में वर्णित आराजियात किता 22 कुल रकबा 0.7750 ,खाता संख्या 385 में वर्णित आराजियात किता 19 कुल रकबा 0.9450 , खाता संख्या 386 में वर्णित आराजी किता 1 कुल रकबा 0.0650, एंव खाता संख्या 387 में वर्णित आराजियात किता 2 कुल रकबा 0.0900 भूमि स्थित है । उक्त आराजियात में वादी एंव प्रतिवादीगण का अपना– अपना हक हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला उदयपुर

राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार अपने–अपने हक हिस्से पर काबिज हो कृषि कार्य करते आ रहे है। उक्त आराजीयात भुमि छोटे–छोटे रकबे में होने से एंव कुलिया क्षैत्रफल कम अधिक होने से एंव वादी के मौके पर राजस्व रेकार्ड में सयुक्त स्वामित्व होने से आये दिन वादी को प्रतिवादीगण भुमि के हक हिस्से पर कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है साथ ही मौके पर मौखिक विभाजन होने से सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को भूमि के विभाजन हेतु कई मर्तबा निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन किये जाने में कोई तत्परता नही दिखाने से वादी को माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद संस्थित करना आवश्यक होने से पेश किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजियात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन की डिक्री पारित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजियात का विधिक विभाजन मिट्स एण्ड बांउडस के आधार पर किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में ईकबालिया जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि उक्त आराजीयात भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउड्स के आधार पर विभाजन किया जाना है, तो हमें काई भी आपत्ति नहीं है। प्रकरण में ईकबालिया जवाब दावा पेश होने से तनकियात कायम नही की गई। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में कोई गवाह पेश नही करने से वादी एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य बन्द की गई। तत्पश्चात प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई। उभय पक्ष द्वारा अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने वाद पत्र एवं जवाब दावें में अंकित किये है।

हमनें विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2072–2075 के खाता संख्या 384, 385, 386, 387 के अवलोकन से वादग्रस्त आराजियात के वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादी वादग्रस्त आराजियात का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन चाहते है, जिसमें प्रतिवादीगण को भी कोई आपत्ती नही है। अतः उभय पक्ष की बहस एवं प्रस्तुत जवाब दावें के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला उदयपुर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा काछबा पटवार क्षेत्र काछबा तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत 2072–2075 के खाता संख्या 384 में कुल किता 22 रकबा 0.7750 खाता संख्या 385 में कुल किता 19 रकबा 0.9450 , खाता संख्या 386 किता 1 रकबा 0. 0650, एंव खाता संख्या 387 किता 2 रकबा 0.0900 स्थित भूमि का पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान्त के आधार पर बाई मिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। एतद्नुसार डिकी पर्चा जारी किया जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Pandey
Date: 2019.07.11 16:03:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: